Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

File No. 2015/TG-V/19/01. **New Delhi, dated 27.08.2015**

General Managers,
All Zonal Railways.

Commercial Circular No. 47of 2015

Sub: Announcement to be made in the trains having public address system.

*****

At present in trains like Rajdhani, Shatabdi and Duronto Express trains having public address system, pre-recorded announcements are made at the time of departure of train from the train originating station/intermediate station and also at the time of arrival of the train at intermediate station/destination.

2. Various instructions have been issued from time to time to educate the passengers about the provisions regarding not smoking in the trains, not accepting food offered by fellow passengers, not to throw litter etc. It has now been decided that to educate the passengers about various provisions involving the welfare of the passengers as well as Railways, pre-recorded messages should be played during the run of the train in such trains having public announcement system inter alia announcing the following:

- Please do not give Tips (bakshish) to waiters. In case of any demand of Tip by a waiter, please make a complaint to the onboard ticket checking staff.
- Smoking and creating nuisance under intoxication is not permissible in the trains. Any passenger found violating this provision is liable to be taken up under extant provisions of law.
- We seek the support of our esteemed travellers in keeping our stations and trains clean. Indian Railways firmly believe that together, we, that is, the Indian Railways and its patrons, can through their joint endeavor successfully to keep the stations clean under the 'Swachh Bharat Mission'.

- Please crush disposable water bottles, provided to you after use or rake it with after the journey.
- Indian Railways provides On-Board Housekeeping Service for cleaning of toilets and compartments on run in trains. You can contact OBSH staff for any cleaning requirement.
- As per Railway Act, any person affecting cleanliness & hygiene at Railway premises including trains, Railway tracks and other property belonging to Railways can be penalized with fine up to Rs. 500/-.
- For their own safety passengers should desist from accepting the food offered by unknown fellow passengers.
- Please be familiar with all emergency exist windows location in the coach and follow displayed instructions for its operation. Do not operate emergency windows without valid reason.
- Please crush disposable water bottles, provided to you after use or take it with you after the journey so as to not reuse.
- Please Dial 138 for any on-board complaint. &139 for Information .
- Please Dial 182 for security related complaints.

3. Zonal Railways may also add other announcements as they deem fit. The number of announcements, their periodicity and time at which these messages will be played will be decided by the Zonal Railways themselves, keeping in view the timings of trains so that the passengers are not inconvenienced.

4. All announcement should confirm to the provisions of Official Language Act.

3/8/15

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy for information and necessary action to:

I. MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
II. Director General, Professor/Training and Professor/Commercial, Railway Staff College, Vadodara.
III. The Principals, Zonal Training Centres, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Alipur duar, Southern Railway/Trichy, South Eastern Railway/Sini, Western Railway/Udaipur.
IV. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), National Federation of Indian Railwaymen(NFIR),
V. Secretary General, Federation of Railway Officers Association(FROA), Indian Railway Promotee Officer Federation (IRPOF).All India RPF Association, National Federation of Railway Pensioner Organization.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/टीजी-V/19/01 नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2015

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 47

विषय: जन उद्घोषणा प्रणाली वाली गाड़ियों में की जाने वाली उद्घोषणा

वर्तमान में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों, जिनमें जन उद्घोषणा प्रणाली मौजूद है, में गाड़ी आरंभ होने वाले स्टेशन/मध्यवर्ती स्टेशन से गाड़ी के प्रस्थान करते समय और मध्यवर्ती स्टेशन/गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के पहुँचने के समय भी पहले से रिकॉर्ड की गई उद्घोषणाएं की जाती हैं।

2. गाड़ियों में धूम्रपान न करने, साथी यात्रियों द्वारा दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ स्वीकार न करने, कचरा न फैलाने आदि से संबंधित प्रावधानों के संबंध में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न प्रावधानों जिसमें यात्रियों और साथ ही रेलवे का भी कल्याण निहित हो, के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए ऐसी गाड़ियों में जिनमें जन उद्घोषणा प्रणाली हैं, निम्नलिखित उद्घोषणा करने के साथ-साथ गाड़ी के चलने के दौरान पहले से रिकॉर्ड किए गए मैसेज को चलाया जाए:

- कृपया वेटर को कोई टिप्स (बख्शीश) न दें। यदि किसी वेटर द्वारा कोई मांग की जाती है तो कृपया ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ को उसकी शिकायत करें।
- गाड़ियों में धूम्रपान करना और नशे में उत्पात मचाना मना है। यदि कोई यात्री इस प्रावधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
- स्टेशनों और गाड़ियों को साफ रखने में हमें अपने सम्मानित यात्रियों का सहयोग अपेक्षित है। भारतीय रेल का यह दृढ विश्वास है कि हम अर्थात् भारतीय रेल और इसके संरक्षक, एक साथ मिलकर अपने संयुक्त प्रयासों से "स्वच्छ भारत अभियान" के अंतर्गत स्टेशनों को साफ रख सकते हैं।
- कृपया आपको दी गई डिस्पोजेबल वाटर बोटल्स का उपयोग करने के बाद दबाकर तोड़ दें या यात्रा के बाद उसे अपने साथ ले जाएं।
- भारतीय रेलवे गाड़ियों के चलने के दौरान शौचालयों और कम्पार्टमेंट की सफाई के लिए ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सेवा मुहैया कराती है। यदि किसी प्रकार की सफाई की आवश्यकता हो तो आप उसके लिए ओबीएसएच स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं।
- रेल अधिनियम के अनुसार, गाड़ियों, रेलपथ और रेलवे की किसी अन्य संपत्ति सहित रेल परिसरों में सफाई और स्वच्छता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति पर 500/- रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

- अपनी सुरक्षा के लिए यात्रियों को अज्ञात साथी यात्रियों द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ को स्वीकार करने से परहेज करना चाहिए।
- कोच में सभी आपातकालीन निकास खिड़कियों के मौजूद होने के संबंध में अवगत रहें और उसके उपयोग के लिए दर्शाए गए निर्देशों का पालन करें। बिना किसी वैध कारण के आपातकालीन खिड़कियों का उपयोग न करें।
- कृपया आपको दी गई डिस्पोजेबल पानी की बोतलों का उपयोग करने के बाद दबाकर तोड़ दें या यात्रा समाप्त होने के बाद अपने साथ ले जाएं ताकि उनका पुन: उपयोग न किया जा सके।
- कृपया किसी ऑन-बोर्ड शिकायत के लिए 138 और सूचना के लिए 139 डायल करें।
- कृपया सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के लिए 182 डायल करें।

3. क्षेत्रीय रेलें अन्य उद्घोषणाएं जिसे वे उपयुक्त समझें, भी शामिल कर सकती हैं। उद्घोषणाओं की संख्या, उनकी आवधिकता और उन मैसेज को कब चलाया जाएगा, इस संबंध में निर्णय क्षेत्रीय रेलों द्वारा गाड़ियों के समय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

4. सभी उद्घोषणाओं के लिए राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2015/टीजी-V/19/01 **नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2015**

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

I. प्रबंध निदेशक/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
II. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य] रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
III. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
IV. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमेन (एनएफआईआर)।
V. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), इण्डियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंसनर्स ऑर्गनाइजेशन.

सं. 2015/टीजी-V/19/01 नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2015

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1) सीसीएम, सीसीएम/पीए और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2) एडीजी/पीआर, रेलवे बोर्ड.
3) एम डी/आई आर सी टी सी, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर.
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक रोड, लखनऊ- 226011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली.
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

******